रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102022-239272 CG-DL-E-01102022-239272

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4441]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 4441]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4649(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, संख्यांक का.आ. 638(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, क्र.सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	प्राधिकारी/अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
"3.	राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण	उनकी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर"।

[ फा. सं. आईए 3-12/2/2022-आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना , भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक 638(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

6629 GI/2022 (1)

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

**S.O.** 4649(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O.638 (E), dated the  $28^{th}$  February, 2014, namely:-

In the said notification, after S.No.2 and the entries relating thereto, the following S.No.and entries shall be inserted, namely:-

S.No.	Authority/Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
"3.	The State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities	Within their respective territorial jurisdiction".

[F. No. IA3-12/2/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

**Note:-**The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (ii), vide number S.O.638 (E), dated 28<sup>th</sup> February, 2014.